




फर्द अहकाम

राउंडर वर्ग बनाम राइडर वर्ग

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. २४७ / 202..2

| क्र. सं. | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|----------|---------------------------|---|---------------------------------|
| | 16/8/24 | पत्रावली पेश हुई। वजुलाए करिबेन उफा इवरेक की पालना में पत्रावली दिनांक 11/01/24 को पेश हो।  उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर | |
| | 4/10/24 | पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 9/10/24 को पेश हो। | |
| | 31/01/24 | पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 13/11/24 को पेश हो। | |
| | 13-11-24 | पत्रावली पेश हुई। वजुलाए करिबेन उफा इवरेक की पालना में पत्रावली दिनांक 27/11/24 को पेश हो।  | |
| | 27-11-24 | पत्रावली पेश हुई। वादीगण एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित वादीगण को आज न्यायालय के प्रथम-पृथक समय पर तीन-तीन बार उपावे लावाची रही। आवृद्ध आवज पणवाने के उपरांत भी वादीगण के न्यायालय में हाजिर नहीं आने के कारण पत्रावली अन्तर्गत सुबेरा - 9 नियम - 3 जा० १० के तहत अदम दायरी व अदम पेंरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली प्रेषण शुमार हीनर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर है।  | उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर |
| | | | उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर |